प्रेस नोट

दिनांक 03.02.2024, संपूर्ण समाधान दिवस

जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मनकापुर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 03.02.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मनकापुर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय द्वारा तहसील तरबगंज पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी मनकापुर, तहसीलदार, प्र0नि0 को0 मनकापुर आदि सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2024, को0 मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोबाइल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-41/24, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू पुत्र लाल बच्चा दुबे निवासी दुबौली रामचरन थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को सादुल्लानगर मोड़ पर अमघटी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री सादिक अली पुत्र नासीर अली निवासी ग्राम मछली गांव नानकार थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा ने दिनांक 01.02.2024 को थाना को0 मनकापुर पर सूचना दिये कि दिनांक 01.02.2024 को समय शाम 07.00 बजे मै अपने भाई के टेन्ट हाऊस दुकान पर मोबाइल चार्जिग में लगाया था उसी समय विपक्षी अवधेश कुमार दूबे उर्फ सोनू दूबे द्वारा मेरा मोबाइल चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में मु0अ0सं0-41/2024 धारा 379 भादवि बनाम अवधेश कुमार दूबे के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस टीमो द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त-01. अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू पुत्र लाल बच्चा दुबे निवासी दुबौली रामचरन थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को सादुल्लानगर मोड़ अमघटी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू पुत्र लाल बच्चा दुबे निवासी दुबौली रामचरन थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 41/24, धारा 379, 411 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन आसमानी कलर तीन कैमरा वाला।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार
02. हे0का0 अभय कुमार राय

अभियुक्त अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू पुत्र लाल बच्चा दुबे का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 237/2022 धारा 379/411/420 भादवि0 थाना हर्रैया जनपद बस्ती ।

02. मु0अ0सं0 244/2022 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

03. मु0अ0सं0 398/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना हर्रैया जनपद बस्ती ।

04. मु0अ0सं0 209/2022 धारा 379/411/420 भादवि0 थाना हर्रैया जनपद बस्ती ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक- 03.02.2024, थाना छपिया
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना छपिया पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0 350/2023 व मु0अ0स0- 26/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी की 02 अदद मोटरसाकिल के साथ प्रकाश में आये शातिर अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा गिरफ्तार कर तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। चोरी की मोटरसाइकिल के बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 03.02.2024 को उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय टीम के द्वारा रात्रि गस्त व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत चोरी की मोटरसाइकिल से साथ शातिर मोटर साइकिल चोर विशाल विश्वकर्मा पुत्र नन्दराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को मसकनवां भोपतपुर मार्ग पर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें 01. हिरो होन्डा स्पलेण्डर प्लस UP51N7741 02. हीरो स्पलेण्डर प्लस UP51AH5173 बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में मु0अ0स0 350/2023 व मु0अ0स0- 26/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त घटना में संलिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विशाल विश्वकर्मा पुत्र नन्दराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 350/2023 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 026/2024 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो होन्डा स्पलेण्डर प्लस UP51N7741 चोरी की बरामद
02. हीरो स्पलेण्डर प्लस UP51AH5173 चोरी की बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह
02. उ0नि0 सुनील कुमार रावत
03. हे0का0 मनोज पासवान
04. हे0का0 रामबुझारत यादव
05. का0 अभिषेक सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.02.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।